4-96

कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर–1
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

पत्रांक– 1715 /(12) 01व0भू0–सामान्य–10 दिनांक– 02/12/10

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता, (ग0/कु0 क्षेत्र)
लोक निर्माण विभाग,
पौड़ी/अल्मोड़ा।

विषयः– स्वीकृत मोटर मार्गो के वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव 07 मीटर चौडाई में प्रेषित करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक श्री खड़क सिंह बोहरा जी, मा0 विधायक, नैनीताल विधानसभा क्षेत्र, उत्तराखण्ड द्वारा नोडल अधिकारी वन पर्यावरण मंत्रालय के निर्देशो का उल्लेख करते हुए वन भूमि हस्तानन्तरण के प्रस्ताव 07 मी0 चौडाई में प्रेषित किये जाने हेतु लिखा गया है, साथ ही उल्लेख किया गया है कि प्रस्ताव इससे अधिक 12 मी0 एवं 09 मी0 चौडाई के प्रेषित किये जाने पर काफी अधिक वृक्षों के पातन के साथ–साथ प्रस्ताव प्रेषित करने में ही खीचंतान होने से प्रस्ताव स्वीकृत होने में काफी विलम्ब होता है ।

इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता हैं, कि किसी भी मार्ग निर्माण मे वन भूमि प्रस्ताव हेतु मार्ग की चौड़ाई (Row) 9 मी0 ली जाय व मार्ग में पड़ने वाले पेड़ों की गिनती 7 मी0 चौड़ाई में की जायेगी । उपरोक्तानुसार अधीनस्थों को भी निर्देशित करने का कष्ट करें।

ह0/–
मुख्य अभियन्ता स्तर–1
02.12.10

प्रतिलिपिः– श्री खड़क सिंह बोहरा जी, मा0 विधायक, नैनीताल विधान सभा क्षेत्र, नैनीताल को उनके पत्र सं0 3553 दिनांक 16.11.2010 के कम में सूचनार्थ प्रेशित।

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियन्ता, ...वाँ वृत्त, लो0नि0वि0, ... को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

ह0/–
मुख्य अभियन्ता स्तर–1
02.12.10